



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022020-216096
CG-DL-E-12022020-216096

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]
No. 79]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2020/माघ 21, 1941
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2020/MAGHA 21, 1941

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 97(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 की उपधारा (4) और धारा 87, धारा 88, धारा 98, धारा 456, धारा 457 तथा धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, वाणिज्य पोत (परिवहन समुद्रकर्मियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत (परिवहन समुद्रकर्मियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये 1 अगस्त, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

2. वाणिज्य पोत (परिवहन समुद्रकर्मियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक) नियम, 2014 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 12, 13, 25, 26, 28 और 33 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एसआर-22014/32/2019-एमजी]

सतिंदर पाल सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 546 (अ), तारीख 30 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए।

MINISTRY OF SHIPPING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th February, 2020

G.S.R. 97(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 78 and Sections 87, 88, 98, 456, 457 and 458 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Merchant Shipping (Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers) Rules, 2014 namely:-

1. (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Standard of Training, Certification and watch keeping for Seafarers) Amendment Rules, 2019.
(2) They shall come into force from the 1st day of August, 2019.
2. In the Merchant Shipping (Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers) Rules, 2014, in the Schedule, serial numbers 12, 13, 25, 26, 28 and 33 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. SR-22014/32/2019-MG]
SATINDER PAL SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 546(E), dated the 30th July, 2014.